भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2867

जिसका उत्तर दिनांक 10.07.2019 को दिया जाना है

अस्पतालों में स्कैन मशीनों का पंजीकरण

2867. श्री कोडिकुन्निल सुरेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी घटनाओं और रिपोर्टों की जानकारी है कि विद्यमान सख्त विनियमन तंत्र के बावजूद भी कुछ अस्पताल और स्वास्थ्य नैदानिक संस्थाएं परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) के अनुमोदन के बिना ही स्कैन मशीन और एक्स-रे मशीनों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या एईआरबी भौतिक सत्यापन के बिना ही ऑनलाइन पंजीकरण प्रदान कर रहा है और विनियमन नयाचारों को अनदेखा कर रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने व्यापक रूप से पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा की है या समीक्षा करने का विचार है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी), विकिरण सुरक्षा दृष्टि से एक्स-रे सुविधाओं के लिए लाइसेंस/पंजीकरण जारी करने के लिए नियामक प्राधिकरण है । एईआरबी इससे अवगत है कि उसके लगातार नियामक प्रयासों के बावजूद, कुछ एक्स-रे केन्द्र हो सकते हैं जो एईआरबी से अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त किए बिना, एक्स-रे यूनिटों का उपयोग कर रहे हैं । वर्तमान में, जून 2019 तक 69,030 नैदानिक एक्स-रे उपकरणों को एईआरबी द्वारा अपने ऑनलाइन सिस्टम अर्थात् 'विकिरण अनुप्रयोगों का ई-लाइसेंसीकरण (ई-लोरा)' के माध्यम से लाइसेंस जारी किए गए हैं ।

(ख) एईआरबी, स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समन्वयन में, संबंधित जिला विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों और जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों के माध्यम से तथा एईआरबी के क्षेत्रीय नियामक केन्द्रों के माध्यम से, जागरूकता बढ़ाकर, देश के नैदानिक एक्स-रे उपकरणों को अपनी नियामक परिधि में लाने के लिए निरंतर, सभी नियामक प्रयास कर रहा है ।

.....2

(ग) तथा (घ) एईआरबी केवल उन उपकरणों के प्रचालन के लिए लाइसेंस जारी करता है, जिनके लिए एईआरबी से टाइप (डिजाइन) अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो । टाइप अनुमोदन प्रक्रिया में, एक्स-रे उपकरण के प्रत्येक मॉडल का वास्तविक सत्यापन शामिल है और यह, मरीज एवं विकिरण कामगारों के संरक्षण के लिए अंतर्निहित डिजाइन सुरक्षा को सुनिश्चित करता है । अपनी ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में, प्रथम चरण में एईआरबी, कानूनी दस्तावेजों, जैसे संस्थान पैन कार्ड और संस्थान के लिए जारी राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों का प्रमाणन, की समीक्षा के माध्यम से संस्थान विवरण का सत्यापन करता है ।

(ङ) जी, हाँ । एईआरबी ने नियामक आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा पहले ही कर ली है और उसे एईआरबी संरक्षा संहिता [एईआरबी/आरएफ-एमईडी/एससी-3 (संशोधन 2), 2016] में शामिल कर लिया है, जिसके आधार पर ई-लोरा ऑनलाइन सिस्टम में पंजीकरण प्रक्रिया का कार्यान्वयन किया गया था । एईआरबी, स्टेकधारकों से प्राप्त फीडबैक और लाइसेंसिंग की अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर अपने नियामक मैकेनिज्म की निरंतर समीक्षा करता रहता है और विकिरण संरक्षा से समझौता किए बिना, अपनी लाइसेंसीकरण प्रक्रिया में संशोधन करता रहता है ।

****